



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./06/05/2017/एफ.सी. 1181

दिनांक: 27.07.2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ० प्र०।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/14208/2015

विषय: अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी 0.01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 26.07.2017 की कार्यवाही (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक- 26.07.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक- 26.07.2017 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 19.5 -U.P.) संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दिए गये निर्देशानुसार अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। अतः अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद, उ० प्र०।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]